



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./नि.स./2025-26/1457

दिनांक 31/07/2025

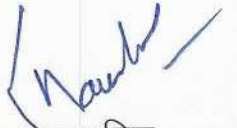
निविदा सूचना

विश्वविद्यालय मुख्यालय हेतु मासिक तथा दैनिक आधार पर किराये पर वाहन (ड्राइवर सहित) प्रदाय करने हेतु इच्छुक वाहन प्रदायकर्ता/ ट्रेवल कम्पनियों आदि से निविदा निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र रु. 1000 का भुगतान करके विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 14.08.2025 तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ प्रत्येक निविदाकर्ता को द्वारा रु. 5000 की धरोहर राशि जमा करना होगा। सफल निविदाकर्ता को रु. 50000 की प्रतिभूति राशि (EMD) "लेखानियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर" के नाम से जमा करना होगा।

निविदायें कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 18.08.2025 को सायं 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा "कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर (म.प्र.) 474002" पर प्रेषित की जा सकती है। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं, अपूर्ण निविदाओं तथा बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अंतिम समय तक प्राप्त निविदाओं का परीक्षण (टैक्नीकल बिड) दिनांक 20/08/2025 को दोपहर 03:00 बजे किया जावेगा। टैक्नीकल बिड में पात्र निविदाओं की फाइनैशियल बिड दिनांक 20/08/2025 दोपहर 03:00 बज खोली जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। उक्त समय में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट www.rvskvv.net पर दी जायगी।


कुलसचिव

वि. वि. हेतु मासिक तथा दैनिक किराये के वाहन हेतु निविदा की शर्तें

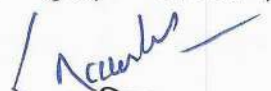
1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल 01.01.2024 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. वाहन आवंटित अधिकारी के निवास स्थान पर रखा जावेगा तथा माइलोमीटर रीडिंग की गणना इसी अनुसार निवास स्थान से की जावेगी।
3. मासिक किराये के वाहन में पेट्रोल/डीजल का प्रदाय एवं वाहन के संधारण पर होने वाला व्यय, बैटरी, वाहन की मरम्मत, टॉयर, ट्यूब एवं पंचर आदि का दायित्व का वहन वाहन प्रदायकर्ता को करना होगा एवं आकस्मिक दशा में आवश्यकता होने पर अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
4. यदि वाहन को रेगुलर सर्विस/मरम्मत आदि में भेजा जाता है तो वाहन प्रदायकर्ता को अन्य वाहन की व्यवस्था पहले करनी होगी।
5. वाहन चालक, वाहन उपयोग कर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करेगा।
6. वाहन का वातानुकूलित तथा सेल्फ स्टार्ट होना एवं त्रुटि रहित होना अनिवार्य होगा। वाहन की कन्डीशन उत्तम होना चाहिये तथा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिये। वाहन के वैध पंजीयन के साथ-साथ फिटनेस एवं प्रदूषण नियंत्रण के वैध प्रमाणपत्र भी वाहन के साथ उपलब्ध कराये जाना आवश्यक है।
7. वाहन चालक निर्धारित यूनिफार्म में होना चाहिए एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा होना चाहिये। वाहन चालक को कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
8. वाहन चालक, वाहन के आवश्यक दस्तावेज बीमा, रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेड प्रमाण पत्र आदि हमेशा वाहन में रखेंगे। आवश्यक दस्तावेज न रखने पर यातायात पुलिस द्वारा अधिरोपित चालान की राशि का भुगतान निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता (Service Provider) द्वारा किया जाएगा।
9. किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये वाहन चालक/वाहन का स्वामी उत्तरदायी होंगे एवं मरम्मत आदि समस्त व्यय वहन करने के साथ ही किसी प्रकार का विवाद होने अथवा न्यायालय में प्रकरण जाने पर उसका निपटारा उन्हें स्वयं करना होगा। संस्थान का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. किसी यात्रा के दौरान वाहन 01 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में अधिकारी द्वारा अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था पर किया गया व्यय या उस दिन का वाहन का किराया जो भी अधिक हो संबंधित वाहन के मासिक किराया देयक से काटा जावेगा।
11. सामान्यतः वाहन की मांग एक दिन पूर्व सूचित की जावेगी किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में वाहन तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

Ch

12. वाहन चालक, वाहन की लॉगबुक संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर करवायेगा।
13. माइलोमीटर की गडबडी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित/ न्यूनतम दूरी ही मान्य होगी।
14. वाहन के मासिक उपयोग पर कोई बंधन नहीं रहेगा।
15. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति एवं अनुबंध हस्ताक्षरित होने के तीन दिन के अंदर वांछित वाहन प्रदाय करना होगा। वाहन की कन्डीशन ठीक न पाये जाने पर दूसरा वाहन भेजना होगा।
16. वाहन आवश्यकता के अनुसार प्रदेश में कहीं भी भेजे जा सकेंगे।
17. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरें मान्य होने की दिनांक से सात दिवस में निविदाकर्ता प्रतिभूति की राशि रु 50000 जमा कर अनुबंध करेगा। अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। अनुबंध अधिकतम तीन वर्ष तक द्विपक्षीय सहमति पर बढ़ाया जा सकेगा।
18. ग्वालियर से बाहर भ्रमण की स्थिति में टोल टैक्स आदि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर मासिक देयक के साथ उसका भुगतान किया जावेगा।
19. न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने पर जमा धरोहर राशि रु. 5000 राजसात कर ली जाएगी तथा एल-2 से अनुबंध कर लिया जायेगा।
20. निविदाकर्ता देयक में जीएसटी की राशि जोड़कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।
21. आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों को घटाया या जोड़ा जाएगा, जो वाहन प्रदायकर्ता फर्म को मान्य करना पड़ेगा।
22. सफल निविदाकार के साथ राशि रु 500/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध करना होगा जिसमें सफल निविदाकार को ठेकेदार के रूप में संबोधित किया जावेगा।
23. वाहन चालक का ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र निविदाकार द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
24. वाहन का पंजीयन टैक्सी/व्यावसायिक कोटे में ही होना चाहिये।



25. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि संस्थान को तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाहन मार्केट से किराये पर लेना पड़ा तो मार्केट से लिये वाहन पर अधिक देय राशि के बराबर राशि निविदाकर्ता की धरोहर राशि/मासिक देयक से काटी जायेगी।
26. सफल निविदाकर्ता को कोई भुगतान एडवांस में नहीं किया जायेगा। संबंधित वाहन प्रदायकर्ता प्रत्येक वाहन का प्रत्येक माह का देयक उस माह के प्रथम सप्ताह में मय लॉगबुक की प्रति के साथ संस्थान में प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त देयक का भुगतान निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के परीक्षण के पश्चात किया जायेगा।
27. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं से समान न्यूनतम दरें प्राप्त होती हैं तो विश्वविद्यालय को किसी भी एक या आवश्यकतानुसार सभी निविदाकर्ताओं से वाहन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
28. वाहन हेतु निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय को होगा। वाहन प्रदायकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने अथवा वाहन की आवश्यकता न होने की दशा में निविदा/कार्यादेश को किसी भी समय निरस्त कर दिया जावेगा।
29. निविदा फार्म प्राप्त करने के पश्चात फर्म/एजेंसी कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकती है।
30. निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट www.rvskvv.net पर दी जायेगी।
31. अनुबंध की किसी शर्त के उल्लंघन अथवा विवाद की स्थिति में प्रथमतः आपसी चर्चा एवं विचार विमर्श से विवाद हल किया जावेगा, किन्तु हल नहीं निकलता तो न्यायालयीन कार्यवाही की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर रहेगा।


कुलसचिव

